

पत्रांक :-  
प्रेषक,

रा0खा0आ0 (शि0) लातेहार / PDS (Card)-18 / 2023 - 649

शबनम परवीन

प्रभारी अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 24.09.2024

विषय:-

लातेहार जिला के विभिन्न प्रखण्डों में राशन कार्ड संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों को Reject कर दिये जाने संबंधी परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंग:-

आयोग का पत्रांक-887 दिनांक-01.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्री धीरज कुमार, बरवाडीह, लातेहार का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा लातेहार जिला में माह अगस्त में राशन कार्ड संबंधी 26 ऑनलाईन आवेदन को एकल सदस्य होने के कारण, 17 आवेदनों को जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण, 14 आवेदनों को बैंक पासबुक नहीं रहने के कारण संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा Reject कर दिये जाने एवं 62 आवेदनों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी बिना कारण बताये Reject कर दिये जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही इससे संबंधित साक्ष्य की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी है।


उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा पूर्व में भी इससे संबंधित परिवाद पत्र आयोग को समर्पित किया गया था जिसमें लातेहार जिला के कुल-145 राशन कार्ड संबंधी आवेदन को संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण रद्द कर दिये जाने का आरोप लगाया गया था। उक्त परिवाद पत्र की प्रति आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा विभाग को प्रेषित की गई थी।

उल्लेखनीय है कि नया राशन कार्ड हेतु PDS Control Order, 2022 में निर्धारित अहर्ता में जाति प्रमाण पत्र/बैंक पासबुक को अपलोड किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के आधार पर अथवा एकल सदस्य के आधार पर नया राशन कार्ड संबंधी आमजनों के आवेदन को रद्द कर दिया जाना चिंताजनक है एवं संबंधित पदाधिकारियों के मनमाने कार्यशैली को दर्शाता है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त आरोप की जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराया जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
24.9.24  
(शबनम परवीन)

प्रभारी अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।